BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE, KOLKATA

M.A. No. 18 of 2024/EZ
IN
O.A. NO. 155 OF 2022/EZ

IN THE MATTER OF

Talab Bachao Abhiyan ....APPLICANT

VERSUS

Government of Bihar & ORS. .... RESPONDENTS

INDEX

Sl no.	Particulars	Page no.
1.	**Compliance Affidavit on behalf of the Committee.**	01-12
2.	**Annexure-1:** Office order regarding constitution of Committee.	13
3.	**Annexure-2:** A copy of the Minutes of First meeting of committee.	14-20
4.	**Annexure-3:** A copy of the Minutes of Second meeting of committee.	21-24
5.	**Annexure-4:** A copy of the Minutes of Third meeting of committee.	25-30

WELFARE STAMP बिहार BIHAR पच्चीस रुपये Rs. Twenty Five 29 Jul 2024

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

EASTERN ZONE BENCH, KOLKATA

M.A. NO. 18 OF 2024/EZ

IN

O.A. NO. 155 OF 2022/EZ

IN THE MATTER OF

TALAB BACHAO ABHIYAN .... APPLICANT

VS

GOVERNMENT OF BIHAR AND ORS .... RESPONDENTS

COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE COMMITTEE CONSTITUTED VIDE ORDER DATED 23.03.2023 PASSED IN O.A. NO. 155 OF 2022/EZ.

I, ABHAY KUMAR, aged about 50 years, Son/Daughter of Late Sheodayal Sharma residing at 401, Ganga-4, Jalalpur city, Patna, do hereby solemnly affirm and State as follows:-

NOTARY A. K. LAL Distt. PATNA Reg. No.-1883J Exp.dt.-29.05.2027 GOVT. OF BIHAR

1. That I am posted as additional Secretary and as such I am well aware of the facts and circumstances of the present matter. I am competent and duly authorized to swear the present affidavit on behalf of Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of Bihar.

2. That the instant application has been filed by the applicant alleging therein that three ponds known as 'Ganga Sagar' Dighi and Harai in Darbhanga, Bihar, are being encroached upon; dumping of garbage and sewage is taking place in these three ponds.

3. That the Hon'ble Tribunal vide its order dated 23.03.2023 constituted a committee and directed the committee to undertake steps to remedy the situation. In light of the directions of the Hon'ble Tribunal a committee was constituted vide order No. 04, dated 18.04.2023, issued under the signature of Special Secretary, Department of Environment, Forest and Climate Change, Govt. of Bihar.

NOTARY N.A.K. LAL Distt.-PATNA Reg. No.-18833 Exp.dt.-29.05.2027 GOVT. OF BIHAR

A copy of the order No. 04, dated 18.04.2023, is annexed and marked as Annexure-1.

4. That the first meeting of the committee was convened on 28.04.2023, in the said meeting the representative of Divisional Railway Manager, Samastipur, informed that there are two sources of discharge of waste water from Darbhanga Railway Station. He further informed that the waste generated from Railway Coach Washing pit is stored in a pit and then treated in Water Treatment Plant (WTP) and the treated water is reused in railway coach washing. The waste water generated from platform area is discharged in Harahi and Digdhi lake and the Railways are taking steps to connect the waste water generated from the platform area to the WTP.

With respect to encroachment, it was informed that the Hon'ble Patna High Court has stayed the demolition of encroachments made around the ponds in question. It was decided that marking of encroachments made around the three ponds may

NOTARY
A. K. LAL
Distt.-PATNA
Reg No.-18833
Exp.dt-29.05.2027
GOVT. OF BIHAR

be done afresh and steps shall be taken to prevent new encroachments.

With respect to solid waste dumped around the lakes, it was informed by the Municipal Commissioner, Municipal Corporation, Darbhanga, that the Solid waste dumped around the three ponds has been lifted and awareness campaign is being undertaken to encourage people living around the pond to avoid throwing solid waste around three ponds.

Further, steps to reduce the pollution of the ponds, construction of STP for treatment of water flowing through drains, action plan for rejuvenation of ponds and re-demarcation of ponds were also deliberated and decisions were taken in the first meeting of the committee.

A copy of the minutes of the first meeting dated 28.04.2023 is annexed and marked as Annexure-2.

NOTARY
A. K. LAL
Distt.-PATNA
Reg. No.-1883J
Exp.dt.-29.05.2027
GOVT. OF BIHAR

5. That the second meeting of the committee was convened on 22.11.2023 and review of the decisions taken in the first meeting was undertaken.

On point of encroachment it was informed that encroachment in and around Harahi pond has been removed completely and w.r.t. encroachment made in and around Dighi and Gangasagar lake it was informed that the same could not be removed in light of the Stay order passed by the Hon'ble Patna High Court and action is being taken to remove encroachments which are not covered under the order of the Hon'ble Patna High Court.

The representative of the Railways, informed that waste water going into Harahi pond has been stopped and the waste water is now treated; and STP is being constructed for treatment of waste water which is discharged on Digdhi Pond.

It was decided that the work to be done by the different authorities/department shall be completed in the financial year 2023-24 and to start the construction work of STP immediately.

A copy of the minutes of meeting dated 22.11.2023 is

NOTARY
A. K. LAL
Distt.-PATNA
Reg. No.-1883J
Exp.dt.-29.05.2027
GOVT. OF BIHAR

annexed and marked as Annexure-03.

6. That third meeting of the joint committee was convened on 26.07.2024, when the Chairman of joint committee sought information regarding the beautification work of the three ponds and the steps being taken for construction of STP. The Municipal Commissioner, Darbhanga, informed that due to dense population there is difficulty in finding a suitable location for establishment of STP, however, there is land available in Lalit Narayan Mithila University, Darbhanga. In this connection, a letter dated 23.11.2023 has been sent to the University but no reply has been received on behalf of the university. It was also informed that, there is a proposal to construct a storm water drain in Darbhanga for which DPR has been prepared and has been sent for approval to the Urban Development and Housing Department, Govt. of Bihar, and there is a proposal to construct two STP in Darbhanga by Bihar Urban Infrastructure Development Corporation (BUIDCO).

NOTARY A. K. LAL Distt.-PATNA Reg. No.-1883J Exp. dt.-29.05.2027 GOVT. OF BIHAR

The Member Secretary, Bihar State Pollution Control Board (BSPCB) informed that as per the directions of the Hon'ble Tribunal regular water quality monitoring of the three ponds is being done and pH and Dissolved Oxygen (DO) were found to be within the prescribed limits. Bio-Chemical Oxygen Demand (BOD); Total Coliform (TC) and Fecal Coliform (FC) were found to be beyond the permissible limit, for which Statutory Direction has also been issued to the Municipal Commissioner, Darbhanga, for taking remedial measures. The water sampling report till January, 2024, showed that the Bio-Chemical Oxygen Demand (BOD), TC and FC were beyond the prescribed limit; however, from the water quality analysis done in February, 2024, onwards it transpires that BOD is within the prescribed limits, however, the Total Coliform (TC) and Fecal Coliform (FC) present in the pond water are still beyond the permissible limits, which indicates that the sewage discharge of the city is still coming into the three ponds in question.

With regard to encroachment, it was informed that encroachment has been completely removed from 'Harahi'

NOTARY
A. K. LAL
Distt.-PATNA
Reg No.-1883J
Exp.dt.-29.05.2027
GOVT. OF BIHAR

talab; there is some encroachment around 'Gangasagar' talab which has not been removed in light of the Stay Order passed by the Hon'ble Patna High Court, Patna and there are around 54 encroachments around 'Digdhi' talab out of which 8 have been removed and 46 are yet be removed.

On point of beautification, it was informed that a plan for beautification with a budget outlay of Rs. 8 crores is under process and in connection with the same letter has been sent to the Divisional Forest Officer, Darbhanga. The Chairman of the joint committee said plantation work will be done by the Divisional Forest Officer, Darbhanga.

The representative of Railways informed that waste water discharge from railway station is not going into the three ponds, and two STPs have been sanctioned under the Amrit Bharat Scheme, for which tenders have been called for and the construction work will be completed by June, 2026.

NOTARY
A. K. LAL
Distt.-PATNA
Reg. No.-18831
Exp.dt.-29.05.2027
GOVT. OF BIHAR

A copy of the minutes of third meeting dated 26.07.2024 is annexed and marked as Annexure-04

7. That the following decisions were taken in the third meeting of the joint committee: -

   I. To write to the Hon'ble Chancellor for allotting land in the campus of the Lalit Narayan Mithila University for the establishment of STPs;

   II. Alternative land may also be identified for setting up of STPs;

   III. Detailed information may also be obtained from the BUIDCO for establishment of STPs;

   IV. Establishment of Solid Waste Processing Facility may be taken on priority;

   V. Remove encroachment from Dighi and Gangasagar Lake and to take steps in order to appeal against the stay order or other steps as may be advised;

NOTARY A.K. LAL Distt.-PATNA Reg. No.-1883J Exp.dt-29.05.2027 GOVT. OF BIHAR

VI. Beautification work and plantation shall be done immediately;

VII. Railways to submit time bound action plan to BSPCB for setting up of STPs;

VIII. To submit compliance report of the Statutory Direction issued by the BSPCB;

IX. BSPCB to regularly carry out the water quality analysis and share the report with the Municipal Commissioner and District Magistrate, Darbhanga;

X. To pick a site for setting up CAAQMS in Darbhanga.

8. That in the light of the above stated facts it is stated that the Committee is taking steps to ensure that the three ponds is restored to its pristine glory and work towards achieving the same is being under taken. Encroachments have been removed; Railways has stopped discharging waste water into the ponds; work for construction of STP is being undertaken.

NOTARY
A. K. LAL
Distt.-PATNA
Reg. No:-18831
Exp.dt.-29.05.2027
GOVT. OF BIHAR

9. That I have read read the contents of the compliance affidavit and have understood the same and the annexures are true copies of its respective originals.

I Identify the Deponent Signature/L.T.I who has signed in my presence

Abhay Kumar

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Patna on 30th day of July, 2024 that the averments made in the present affidavit are true and correct to the best of my knowledge and information derived from the records of the matter.

Abhay Kumar

DEPONENT

NOTARY
A. K. LAL
Distt. PATNA
Reg. No.-11883
Exp.dt.-29.05.2027
GOVT. OF BIHAR

सत्यमेव जयते
भारत सरकार

आधार

भारत सरकार
Government of India

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

नामांकन क्रम/ Enrolment No.: 0013/66005/02993

To
अभय कुमार
Abhay Kumar
S/O: Sheo Dayal Sharma,
401,Ganga-4,
Jalalpur City,
Ramjaipal Road,
Beily Road Patna,
VTC: Dinapur-Cum-Khagaul,
PO: Danapur Cantt,
Sub District: Danapur,
District: Patna,
State: Bihar,
PIN Code: 801503,
Mobile: 7033039319

आपका आधार क्रमांक / Your Aadhaar No. :

3006 3965 3108

VID : 9131 5703 9008 4400

मेरा आधार, मेरी पहचान

Government of India

AADHAAR

सूचना / INFORMATION

- आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। जन्मतिथि आधार नंबर धारक द्वारा प्रस्तुत सूचना और विनियमों में विनिर्दिष्ट जन्मतिथि के प्रमाण के दस्तावेज पर आधारित है।
- इस आधार पत्र को यूआईडीएआई द्वारा नियुक्त प्रमाणीकरण एजेंसी के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण के द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए या ऐप स्टोर में उपलब्ध एमआधार या आधार क्यूआर कोड स्कैनर ऐप से क्यूआर कोड को स्कैन करके या www.uidai.gov.in. पर उपलब्ध सुरक्षित क्यूआर कोड रीडर का उपयोग करके सत्यापित किया जाना चाहिए ।
- आधार विशिष्ट और सुरक्षित है ।
- पहचान और पते के समर्थन में दस्तावेजों को आधार के लिए नामांकन की तारीख से प्रत्येक 10 वर्ष में कम से कम एक बार आधार में अपडेट कराना चाहिए ।
- आधार विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी फायदों/सेवाओं का लाभ लेने में सहायता करता है ।
- आधार में अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अपडेट रखें ।
- आधार सेवाओं का लाभ लेने के लिए एमआधार ऐप डाउनलोड करें ।
- आधार/बॉयोमेट्रिक्स का उपयोग न करने के समय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आधार/बॉयोमेट्रिक्स लॉक/अनलॉक सुविधा का उपयोग करें।
- आधार की मांग करने वाले सहमति लेने के लिए बाध्य हैं।
- Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth (DOB). DOB is based on information supported by proof of DOB document specified in regulations, submitted by Aadhaar number holder.
- This Aadhaar letter should be verified through either online authentication by UIDAI-appointed authentication agency or QR code scanning using mAadhaar or Aadhaar QR Scanner app available in app stores or using secure QR code reader app available on www.uidai.gov.in.
- Aadhaar is unique and secure.
- Documents to support identity and address should be updated in Aadhaar after every 10 years from date of enrolment for Aadhaar.
- Aadhaar helps you avail of various Government and Non-Government benefits/services.
- Keep your mobile number and email id updated in Aadhaar.
- Download mAadhaar app to avail of Aadhaar services.
- Use the feature of Lock/Unlock Aadhaar/biometrics to ensure security when not using Aadhaar/biometrics.
- Entities seeking Aadhaar are obligated to seek consent.

भारत सरकार
Government of India

आधार

Aadhaar no. issued: 21/02/2015

अभय कुमार
Abhay Kumar
जन्म तिथि/DOB: 17/03/1974
पुरुष/ MALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं ।
इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या क्यूआर कोड/ ऑफलाइन एक्सएमएल की स्कैनिंग) के साथ किया जाना चाहिए ।
Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth. It should be used with verification (online authentication, or scanning of QR code / offline XML).

3006 3965 3108

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

AADHAAR

पता:
आत्मज: शिव दयाल शर्मा, 401,गंगा-4, जलालपुर नगर, रामजैपाल मार्ग, बेली रोड पटना, दीनापुर कम खगौल, दानापुर कन्तत, पटना, बिहार - 801503

Details as on: 02/02/2024

Address:
S/O: Sheo Dayal Sharma, 401,Ganga-4, Jalalpur City, Ramjaipal Road, Beily Road Patna, Dinapur-Cum-Khagaul, PO: Danapur Cantt, DIST: Patna, Bihar - 801503

3006 3965 3108

VID : 9131 5703 9008 4400

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

NOTARY
N. K. LAL
Distt.-PATNA
Reg. No.-18833
Exp.dt.-29.05.2027
GOVT. OF BIHAR

For counter affidavit
Abhay Kumar
30/07/24

Annexure-1
(570)
(445)

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,

आदेश

पटना–15, दिनांक 18/04/2023

संख्या–पर्या/जल०/परि०:–69/2021 04 /प०व०ज०प०, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी बेंच, कोलकाता में दायर ओ०ए० संख्या–155/2022/EZ, तालाब बचाव अभियान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक–23.03.2023 को पारित आदेश के आलोक में दरभंगा जिलान्तर्गत तीन तालाबों यथा– गंगासागर, दिग्घी एवं हराही में दरभंगा नगर निगम के नालों से शहर का गंदा पानी गिरने, ठोस कचरा डंपिंग करने एवं तालाब के आस–पास अवैध अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु एक संयुक्त समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

(i) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना– अध्यक्ष

(ii) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना– सदस्य

(iii) जिला पदाधिकारी, दरभंगा– सदस्य

(iv) सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना– सदस्य

(v) प्रमंडलीय रेलवे प्रबंधक, समस्तीपुर डिवीजन– सदस्य

(vi) नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा– सदस्य

उक्त समिति माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी। इस क्रम में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा गठित समिति की अनुशंसा की समीक्षा करते हुए विषय वस्तु से संबंधित सभी बिन्दुओं पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करायेगी। इस संबंध में तत्काल बैठक आहूत करते हुए प्रस्तावित उपचारात्मक कार्रवाई के मूल्यांकन के लिए प्रत्येक चार माह में नियमित बैठक करेगी।

18/4

(कँवल तनुज)
सरकार के विशेष सचिव

NOTARY
A. K. LAL
Distt.-PATNA
Reg No.-18833
Exp.dt.-29.05.2027
GOVT. OF BIHAR

Annexure-2
(45)

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इस्टर्न जोन, कोलकाता द्वारा ओ.ए. नं.–155/2022 में दिनांक–23.03.2023 को पारित आदेश के आलोक में प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में दिनांक–28.04.2023 को अपराह्न 03:30 बजे हाईब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित बैठक का वृत्त।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, इस्टर्न जोन, कोलकाता द्वारा ओ.ए. नं.–155/2022 (EZ) में दिनांक–23.03.2023 को पारित आदेश में दरभंगा के तीन तालाबों के कायाकल्प (Rejuvenation) हेतु प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति की हाईब्रिड मोड में बैठक दिनांक–28.04.2023, (शुक्रवार) को अपराह्न 03:30 बजे आयोजित की गयी। प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार के अन्य बैठक में व्यस्त रहने के कारण बैठक का संचालन सदस्य–सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा किया गया। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे:–

1. सदस्य–सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना;
2. जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा के नामित प्रतिनिधि श्री राजेश झा 'राजा' अपर जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा;
3. प्रमंडलीय रेल प्रबंधक, समस्तीपुर के प्रतिनिधि श्री रंजत कुमार, सहायक यांत्रिकी अभियंता, पूर्व मध्य रेलवे, दरभंगा;
4. नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा;
5. सदस्य–सचिव, बिहार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण एवं उनके प्रतिनिधि डॉ. सरोज बारिक; आर्द्रभूमि विशेषज्ञ;
6. पर्षद् विश्लेषक, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना।

सर्वप्रथम, सदस्य–सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा सभी उपस्थित सदस्यों एवं सहभागियों का बैठक में स्वागत किया गया। सदस्य–सचिव ने अपने प्रस्तुतीकरण में समिति का गठन, इसके उद्देश्य एवं लक्ष्य के बारे में विस्तार से बताया। साथ ही यह भी बताया कि समिति की बैठक प्रत्येक चार माह में एक बार होनी है। माननीय अधिकरण द्वारा दिये गये निदेशों की जानकारी बिन्दुवार दी गयी।

सदस्य–सचिव द्वारा जानकारी दी गयी कि दरभंगा शहर के बीच में हराही, दिग्घी एवं गंगा सागर तालाब अवस्थित है, जो दरभंगा रेलवे स्टेशन के समीप है। हराही एवं दिग्घी तालाब में दरभंगा रेलवे स्टेशन से निकला अपशिष्ट–जल प्रवाहित होता है। इसे रोकने के लिए रेलवे प्रबंधन द्वारा क्या–क्या कदम उठाये जा रहे है। इस संबंध में विस्तार से बताने का अनुरोध किया गया।

NOTARY
A. K. LAL
Distt.-PATNA
Reg No.-18833
Exp.dt.-29.05.2027
GOVT. OF BIHAR

रेलवे प्रबंधन द्वारा सूचित किया गया कि दरभंगा रेलवे स्टेशन से गंदा पानी निकलने के दो प्रमुख स्रोत है। प्रथम–रेलवे कोच वाशिंग पीट एरिया जहां रेलवे बोगियों की साफ–सफाई की जाती है। इससे निकला गंदा जल को एक पीट में इकट्ठा किया जाता है, जिसे Water Treatment Plant (WTP)/Sewage Treatment Plant (STP) में उपचारित कर इसे पुनः बोगियों की सफाई में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार गंदा जल को पुनः चक्रित किया जाता है एवं इसका पानी तालाब में नहीं जाता है।

दूसरा–रेलवे प्लेटफॉर्म एवं सर्कुलेशन एरिया से निकला दूषित जल हराही एवं दिग्घी तालाब में जाता है। रेलवे द्वारा प्लेटफॉर्म एवं सर्कुलेशन एरिया से निकला गंदा जल को एक ड्रेन के माध्यम से WTP/ STP के साथ अगले दो माह में जोड़ दिया जायेगा। इस प्रकार रेलवे का 90 प्रतिशत दूषित बहिस्राव को उपचारित कर इसक पुनः उपयोग कर लिया जायेगा।

सदस्य–सचिव द्वारा कहा गया कि इस संबंध में एक समयबद्ध कार्य योजना (Time Bound Action Plan) तैयार कर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को उपलब्ध करायी जाय। साथ WTP/STP देखने एवं उपचारित जल की गुणवत्ता की जानने की इच्छा व्यक्त की। जिसे रेलवे प्रबंधन द्वारा सहर्ष स्वीकार किया गया।

सदस्य–सचिव, बिहर राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, पटना द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये गये:–

1. आज की प्रथम बैठक में बेसलाईन डाटा प्राप्त किया जा सकता है।
2. अगली बैठकों में इंक्रीमेन्टल प्रगति का आकलन किया जा सकता है। आगे की बैठकों में इंक्रीमेन्टल प्रगति को लेखाबद्ध किया जा सकता है, जिसे किसी भी समय माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

प्रधान सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा माननीय अधिकरण के आदेश के आलोक में आदेश के कंडिका–6 में उल्लेखित अनुशंसाओं का बिन्दुवार समीक्षा की गयी ।

कंडिका–6, उप–कंडिका (a) Encroachments around all the three ponds should be removed.

दरभंगा शहर के हराही, दिग्घी एवं गंगा सागर तालाबों के चारों ओर हुए अवैध अतिक्रमण (Encroachment) की जानकारी देते हुए नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम द्वारा सूचित किया गया कि 2014 में दरभंगा अंचल कार्यालय द्वारा तालाब के चारों ओर हुए अवैध अतिक्रमण को चिन्हित किया गया। अतिक्रमण हटाने के क्रम में कुछ लोगों द्वारा माननीय

NOTARY ★ N.K. LAL Distt.-PATNA Reg. No.-18833 Exp.dt.-29.05.2027 GOVT. OF BIHAR

पटना उच्च न्यायालय से स्थगन (Stay) आदेश प्राप्त कर लिया गया। उस समय से अवैध अतिक्रमण को हटाने का कार्य रूका हुआ है।

सदस्य–सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा कहा गया कि तीन तालाबों के चारों ओर किये गये अतिक्रमण को पुनः चिन्हित किया जाये, जिससे बेसलाईन डाटा हो एवं नये अतिक्रमण पर रोक लगाया जा सके। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अध्ययन कर उसके अनुरूप अतिक्रमण कार्यों पर विधि सम्वत कार्रवाई की जाये। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन प्राप्त किये गये अतिक्रमण को छोड़कर अन्य अतिक्रमण कार्यों के विरूद्ध कार्रवाई आरंभ की जाये।

कंडिका–6, उप–कंडिका (b) Solid waste dumped in the drains and adjoining areas should be removed with immediate effect and the ULB (DMC) shall ensure that no solid waste is dumped in these drains.

तालाबों के चारों ओर जमा किये गये एवं तालाब में पाये जा रहे ठोस कचरा के बारे में जानकारी देते हुए नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा द्वारा जानकारी दी गयी कि तालाब में चारों ओर सभी ठोस कचरा जमाव स्थलों से कचरा हटा लिया गया है और आस–पास निवास कर रहे जनता को तालाब के आस–पास ठोस कचरा नहीं फेंकने के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें माइकिंग एवं अन्य साधनों से प्रचार–प्रसार कराया जा रहा है। वाल–पेंटिंग इत्यादि द्वारा भी प्रचार–प्रसार किया जा रहा है। तालाबों के आस–पास नियमित रूप से कचरों का उठाव किया जा रहा है।

सदस्य–सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा सुझाव दिया गया कि तालाब में अथवा उसके आस–पास कचरा नहीं फेंकने के लिए समय सीमा निर्धारित किया जाये और उसके बाद कचरा फेंकने वालों पर अर्थदण्ड लगाया जाये। जगह–जगह पर सूचना पट्ट (Signage) लगाया जाये। इन सभी कार्यों को अभिलेखित (Documented) किया जाये। जिसे माननीय अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

कंडिका–6, उप–कंडिका (c) Flow of water through drains should be made hindrance free.

यह ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित है, जिसकी चर्चा की जा चुकी है।

कंडिका–6, उप–कंडिका (d) Following short term measures may be taken up for the conservation of these of ponds:- (i) In-situ remediation of ponds should be adopted by having aeration facility using microorganisms to degrade the pollutants and to increase the dissolved oxygen.

NOTARY
A. K. LAL
Distt.-PATNA
Reg. No.-18833
Exp.dt.-29.05.2027
GOVT. OF BIHAR

इस खंड में तालाबों के जल को शुद्ध करने के विकल्पों के बारे में अनुशंसा की गयी है। साथ ही केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, द्वारा जारी "Indicative Guidelines for Restoration of Water Bodies" के अनुरूप तालाबों का जीर्णोद्धार करने की अनुशंसा की गयी।

सदस्य–सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि दरभंगा नगर निगम के पदाधिकारियों और पर्षद के वैज्ञानिकों की एक बैठक करायी जाये, जिसमें तालाबों में झरना लगाने, बोटिंग कराने, जलीय–जीव–जन्तुओं एवं पेंड़–पौधे के लगाये जाने पर विचारोपरान्त एक एक्शन प्लान तैयार किया जाय। इसमें मत्स्य विभाग (Fisheries Department) के तकनीकी पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा द्वारा सूचित किया गया कि झरना लगाये जाने के लिए निविदा आमंत्रित किया गया है तथा बोटिंग की तैयारी किया जा रहा है।

इस दौरान विशेष सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित कार्यों से संबंधित अभिलेखों का अध्ययन कर इसके क्रियान्वयन के लिए एक समयबद्ध कार्य–योजना तैयार करने का सुझाव दिया गयाः–

1. Encroachment के कितने मामले, थे। इसमें कितने लोग हाई कोर्ट गये थे। कितने को Stay मिला था। Stay का ground क्या था।
2. Stay में सरकार की ओर से पैरवी आवश्यक है। Supreme Court का निर्णय है कि यदि छः माह में समीक्षा नहीं किया गया है तो वह Null हो जाता है। कुछ में खास मामले हो सकते है। बाकी में नहीं।
3. High Court का Stay किस प्रकार का है। इस पर जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है।

कंडिका–6 उप–कंडिका (d) (ii) Using aquatic plants, aquatic animals and other biological techniques for In-site remediation of the ponds can be undertaken.

सदस्य–सचिव द्वारा सूचित किया गया कि In-Situ Remediation हेतु Plants अथवा animals का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अतः plants अथवा animals के चयन में सावधानियां बरतनी होगी। इसलिए Fish एवं Botany के Expert को भी बैठक में बुलाया जाना चाहिए।

कंडिका–6, उप–कंडिका (d) (iii) Management of drainages especially from the nearby sources (from residential and commercial establishments around the ponds) may be ensured.

NOTARY A.K. LAL Distt.-PATNA Reg. No.-18831 Exp.dt.-29.05.2027 GOVT. OF BIHAR

तालाब में मिल रहे नालों एवं किनारे बसे घरों द्वारा तालाब में मिलाये जा रहे नालों की पहचान करनी होगी। इसका फोटोग्राफ एवं जी.पी.एस. के साथ मैपिंग कराना होगा तदोपरान्त आगे की कार्रवाई सुनिश्चित किया जा सकता है।

कंडिका–6, उप–कंडिका (e) The waste water flowing through the drains should be treated through adequate Sewage Treatment Plant (STP) of required capacity. Accordingly sewerage network and STP should be constructed to ensure proper treatment of sewage and restricting the waste water flow into ponds.

तीन तालाबों में मिलने वाले नालों के बहाव को माप कर अपेक्षित क्षमता वाले STP का निर्माण कराया जा सकता है। इसके साथ ड्रेनेज नेटवर्क का भी विकास करना होगा जिससे नालों के पानी को तालाब में जाने से रोका जा सकेगा। इसके लिए डी.पी.आर. तैयार कराया जा सकता है।

नगर आयुक्त, दरभंगा द्वारा सूचित किया गया कि इस हेतु डी.पी.आर. तैयार कराया जा रहा है।

कंडिका–6, उप–कंडिका (f) An action plan should be developed for rejuvenation of these ponds as per "Indicative guidelines for restoration of water bodies" published by Central Pollution Control Board.

Pond के Rejuvenation हेतु एक Timeline Action Plan बनाना आवश्यक है, जो केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के "Indicative Guidelines for Restoration of Water Bodies" के अनुरूप हो। इस दिशा में एक बैठक दरभंगा नगर निगम के कार्यालय कक्ष में आयोजित किया जा सकता है। इसमें विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों का मंतव्य प्राप्त किया जा सकता है।

कंडिका–6, उप–कंडिका (g) Re-demarcation of ponds should be carried out by the Land Revenue Department, Govt. of Bihar to verify the encroachment status taking note of previous demarcation survey conducted during 2014.

Land Revenue Department द्वारा तालाबों का पुनः नापी कराकर अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त की जा सकती है एवं इसे सन् 2014 में कराये गये सर्वेक्षण के डाटा से मिलान किया जा सकता है। इस प्रकार सन् 2014 के बाद किये गये अतिक्रमण की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस पर अपर जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा सूचित किया गया कि हराही, दिग्घी एवं गंगा सागर तालाबों का सर्वेक्षण पुनः कराया गया है एवं पुनः सर्वेक्षण कराकर तालाब का सीमा निर्धारण किया गया है। जो व्यक्ति अतिक्रमण हटाने के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर किये गये है और न्यायालय द्वारा अतिक्रमण पर रोक लगाया गया है, उन्हें छोड़कर बाकी पर कार्रवाई की जायेगी।

NOTARY
A. K. LAL
Distt.-PATNA
Reg. No.-1883J
Exp.dt.-29.05.2027
GOVT. OF BIHAR

कंडिका–6, उप–कंडिका (h) The East Central Railway, India Railway Samastipur Division, Samastipur shall ensure the proper management of sewage/ domestic waste water and solid waste, plastic waste generated from Darbhanga Railway Station.

बैठक के आरंभ में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किये जा रहे कार्यों का जिक्र किया गया है। बैठक की कार्रवाई के उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः–

1. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में तीन तालाब के चारों ओर अतिक्रमण (Encroachment) इसमें मिलने वाले नालों, रेलवे द्वारा किये जाने वाले कार्यों, एस.टी.पी. निर्माण से संबंधित कार्यों इत्यादि का बेसलाईन डाटा को संग्रहित किया जाय।

   (कार्रवाई :– जिला प्रशासन, दरभंगा; दरभंगा नगर निगम, दरभंगा एवं पूर्व मध्य रेलवे, समस्तीपुर प्रमंडल, समस्तीपुर)

2. बेसलाईन डाटा के आलोक में Timeline Action Plan तैयार किया जाये। इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों की बैठक आहुत की जाये एवं Timeline Action Plan को अंतिम रूप प्रदान किया जाये। संबंधित विभाग अपना–अपना एक्शन प्लान तैयार करेंगे।

   (कार्रवाई :–दरभंगा नगर निगम, दरभंगा एवं पूर्व मध्य रेलवे, समस्तीपुर प्रमंडल, समस्तीपुर)

3. प्रत्येक चार माह पर होने वाले बैठकों में Timeline Action Plan के तहत विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की समीक्षा की जाये।

   (कार्रवाई :–बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के माध्यम से समिति द्वारा)

4. तीन तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के अनुरूप कार्य करने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, मत्स्य शोध संस्थान, कृषि वैज्ञानिक अथवा वनस्पति विज्ञान से संबंधित वैज्ञानिक के साथ एक कार्यशाला का आयोजन किया जाये।

   (कार्रवाई :–दरभंगा नगर निगम, दरभंगा)

5. नियमित रूप से ठोस अपशिष्टों का उठाव किया जाये एवं डोर टू डोर पृथककृत ठोस अपशिष्ट का उठाव कराया जाये एवं नियमानुकूल निपटान कराया जाय। जन–जागरूकता अभियान, माईनिंग, साइनेज इत्यादि नियमित रूप से कराया जाय।

   (कार्रवाई :–दरभंगा नगर निगम, दरभंगा)

NOTARY A. K. LAL Distt.-PATNA Reg. No.-18833 Exp.dt.-29.05.2027 GOVT. OF BIHAR

(५८४)

6. Land Revenue Department द्वारा एक बार अतिक्रमण का पुनः सर्वेक्षण कराकर (नक्शा के साथ) अद्यतन स्थिति का आंकलन किया जाये।

(कार्रवाई :–जिला पदाधिकारी, दरभंगा)

7. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा अतिक्रमण पर दिये गये Stay-order का अध्ययन कराया जाये एवं अवैध अतिक्रमण को हटाने पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाये।

(कार्रवाई :–जिला पदाधिकारी, दरभंगा)

8. तीन तालाबों में मिलने वाले नालों का प्रवाह तालाब में नहीं होने दिया जाये। इसे एस.टी.पी. के माध्यम से उपचारित कर तालाबों में छोड़ा जाय क्योंकि वर्त्तमान में तालाब में जल का स्रोत नालों से आने वाले पानी ही है। इसके बगैर तालाब के सूखने की संभावना है।

(कार्रवाई :–दरभंगा नगर निगम, दरभंगा एवं Bihar Urban Infrastructure Development Corporation Limited)

9. पूर्व मध्य रेलवे द्वारा किये जाने वाले कार्यो का Timeline Action Plan बना कर समिति के समक्ष अगली बैठक में रखा जाय।

(कार्रवाई :–पूर्व मध्य रेलवे,समस्तीपुर प्रमंडल, समस्तीपुर)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

22/6/23

सदस्य–सचिव,
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना।

NOTARY
A. K. LAL
Distt.-PATNA
Reg. No.-1883J
Exp.dt.-29.05.2027
GOVT. OF BIHAR

Annexure-3

सरकार के सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी प्रक्षेत्र (Eastern Zone), कोलकाता में दायर O.A. No. 155/2022 (EZ) में दिनांक–08.12.2022 को पारित आदेश द्वारा गठित संयुक्त समिति (Joint Committee) की दिनांक–22.11.2023 को आयोजित द्वितीय बैठक का वृत्त।

सरकार के सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी प्रक्षेत्र (Eastern Zone), कोलकाता द्वारा O.A. No. 155/2022 (EZ) में दिनांक–08.12.2022 को पारित आदेश द्वारा गठित संयुक्त समिति (Joint Committee) की द्वितीय बैठक दिनांक–22.11.2023 को आयोजित किया गया। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों/उनके प्रतिनिधियों द्वारा ऑनलाईन विडियो कॉन्फेरेन्स के माध्यम से भाग लिया गया:–

1. सदस्य–सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना;
2. अपर जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा;
3. नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा;
4. श्री ह्रदय नारायण, DEnHM, समस्तीपुर प्रमंडल, समस्तीपुर, प्रतिनिधि, प्रमंडलीय रेल प्रबंधक, समस्तीपुर प्रमंडल, पूर्व–मध्य रेलवे, समस्तीपुर;
5. श्री विजय शंकर सिंह, सहायक अभियंता, दरभंगा रेवले स्टेशन, पूर्व–मध्यम रेलवे, दरभंगा।

सरकार के सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया, तत्पश्चात् कहा गया कि सभी माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन यथाशीघ्र सुनिश्चित कराये। कार्रवाई आरंभ करते हुए सदस्य–सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना से अनुरोध किया गया कि प्रस्तुतीकरण के माध्यम से समीक्षा आरंभ की जाये।

सदस्य–सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से संयुक्त समिति के गठन की पृष्ठभूमि पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गयी एवं प्रथम बैठक में लिये गये निर्णयों पर बिन्दुवार समीक्षा आरंभ की गयी।

क्रम संख्या–1: अतिक्रमण के मुददे पर अपर जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा सूचित किया गया कि हराही तालाब के अतिक्रमण को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है तथा दिग्घी एवं गंगासागर तालाब के अतिक्रमणकारियों पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना के वाद संख्या–21009/ 2019 एवं 24683/2018 द्वारा पारित आदेश के आलोक में स्थगन आदेश प्राप्त अतिक्रमणकारियों को छोड़कर अन्य पर नियमानुकूल अतिक्रमण खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है एवं इस संबंध में एक पत्र भी भेजा गया है।

प्रमंडलीय रेल प्रबंधक, समस्तीपुर प्रमंडल, पूर्व मध्य रेलवे समस्तीपुर के प्रतिनिधि श्री ह्रदय नारायण, DEnHM, समस्तीपुर प्रमंडल, पूर्व–मध्य रेलवे, समस्तीपुर द्वारा सूचित किया गया कि दरभंगा रेलवे स्टेशन से हराही तालाब में जा रहे अनुपचारित मलजल (Untreated Sewage) नाले को बंद कर दिया गया है और इसे Water Recycling Plant (WRP) में ले जाया जा रहा है, जहाँ इसका शुद्धिकरण (Treatment) किया जाता है। दिग्घी तालाब में जा

NOTARY A. K. LAL Distt.-PATNA Reg. No.-1883J Exp.dt.-29.05.2027 GOVT. OF BIHAR

रहे अनुपचारित मलजल के उपचार (Treatment) हेतु कार्य किया जा रहा है, जो फरवरी, 2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

सदस्य–सचिव द्वारा सूचित किया गया कि प्रथम बैठक में निदेश दिया गया था कि रेल परिसर से तालाबों में जा रहे अनुपचारित मलजल (Untreated Sewage) को तालाब में जाने से रोकने एवं उसका समुचित उपचार करने हेतु Sewage Treatment Plant (STP) निर्माण के लिए एक कार्य–योजना प्रदान करेंगे, परन्तु यह अभी तक अप्राप्त है। अध्यक्ष द्वारा पुनः निदेश दिया गया कि 15 दिनों में एक समयबद्ध कार्य–योजना तैयार कर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना को प्रदान करेंगे।

(**अनुपालनः**–प्रमंडल रेल प्रबंधक, समस्तीपुर प्रमंडल, पूर्व–मध्य रेलवे, समस्तीपुर)

क्रम संख्या–2: तीन तालाबों के जल को उपचारित करने हेतु एक समयबद्ध कार्य–योजना तैयार करना–

नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा द्वारा सूचित किया गया कि कार्य–योजना तैयार कर लिया गया है, जिसकी प्रति बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना को उपलब्ध करा दी गयी है। समयबद्धता के लिए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना से वार्त्ता कर पूरा कर लिया जायेगा।

निर्णयः–निदेश दिया गया कि बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना के साथ मिलकर समयबद्ध कार्य योजना को 15 दिनों के अंदर पूरा कर लिया जाये एवं कार्य–योजना के अनुसार समयबद्ध तरीके से कार्य किया जाय।

(**अनुपालनः**–नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना)

सदस्य–सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश का उल्लेखत करते हुए सूचित किया गया है कि माननीय अधिकरण के निदेशानुसार सभी नालों को तीन तालाबों में जाने से रोका जाय तथा STP का निर्माण शीघ्र किया जाये।

इसके आलोक में नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा द्वारा सूचित किया गया कि तीन तालाबों के पास STP निर्माण के लिये स्थान उपलब्ध नहीं है, इसलिये वैकल्पिक स्थान हेतु ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा से संपर्क किया गया है एवं उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) की मांग की गयी है।

निर्णयः–अध्यक्ष महोदया द्वारा नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के प्राधिकार से शीघ्र सम्पर्क कर शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया।

(**अनुपालनः**–नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा)

क्रम संख्या–3: संयुक्त समिति की बैठक माननीय अधिकरण के निदेशानुसार प्रत्येक चार माह पर सुनिश्चित किया जाना।

NOTARY ★ A. K. LAL Distt-PATNA Reg No-18833 Exp.dt.-29.05.2027 GOVT. OF BIHAR

निदेशः—बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना को निदेश दिया गया कि बैठक प्रत्येक चार माह में आयोजित करना है।

(अनुपालन :—बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना)

क्रम संख्या—4: तालाबों के पुनरूद्धार (Rejuvenation) के लिये बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना, मत्स्य शोध संस्थान के वैज्ञानिक या वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ के साथ बैठक किया जाये एवं उनके report को प्रस्तुत किया जाना।

कार्रवाई: दरभंगा नगर निगम, दरभंगा द्वारा सूचित किया गया कि विशेषज्ञों के साथ बैठक का आयोजन दिनांक—14.07.2023 को विडियो कॉन्फेरेन्स के माध्यम से आयोजित किया गया है तथा बैठक में दिये गये सुझावों के अनुरूप Action Plan तैयार किया गया है।

(अनुपालनः— अनुपालित)

क्रम संख्या—5: Door-to-Door घरेलू ठोस अपशिष्ट का उठाव, नियमानुकूल निपटान एवं जागरूकता कार्यकम आयोजित करना।

कार्रवाई: नगर आयुक्त द्वारा सूचित किया गया कि इस दिशा में कार्रवाई किया जा रहा है।

(अनुपालनः नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा)

क्रम संख्या—6: Land Revenue Department के जिला स्तर के पदाधिकारियों द्वारा अतिक्रमणकारियों के सबंध में पूर्व की जानकारी को अद्यतन कर वर्त्तमान स्थिति अनुसार अतिक्रमणकारियों की सूची तैयार किया जाना।

कार्रवाईः— अपर जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा द्वारा सूचित किया गया कि हराही तालाब से अतिक्रमण को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है एवं अन्य दो तालाबों के किनारे अतिकमण हटाने के लिए माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निर्गत स्थगन आदेश प्राप्त अतिक्रमणकारियों को छोड़कर अन्य पर नियमानुकूल अतिक्रमणकारियों को खाली कराने की कार्रवाई जा रही है।

(अनुपालनः—जिला पदाधिकारी, दरभंगा)

सरकार के सचिव—सह—अध्यक्ष, संयुक्त समिति द्वारा दरभंगा नगर निगम, दरभंगा से पृच्छा की गयी कि माननीय एन.जी.टी. द्वारा पारित आदेश के आलोक में क्या—क्या कार्रवाई की गयी है।

नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा द्वारा इस संबंध में किये जा रहे कार्रवाई की जानकारी निम्नरूपेन दी गयीः—

1. तालाब के किनारे कचड़ा फेकनें को प्रतिबंधित किया गया है।
2. हराही तालाब से अतिक्रमणकारियों को हटा दिया गया है।
3. Sewage Treatment Plant के निर्माण के लिये DPR तैयार किया गया है, जिसकी अनुमानित राशि रूपये 8 (आठ) करोड़ है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित राशि के खर्च की अनुमति के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को भेजा गया है। इस DPR पर Chief Engineer का Technical Approval प्राप्त किया जाना है एवं

Generated from eOffice by Arun kumar, BSPCB-BO_ANLST(Board Anlst), BOARD ANALYST, BSPCB on 27/12/2023 05:50 pm

NOTARY A. K. LAL Distt.-PATNA Reg No.-18831 Exp.dt.-29.05.2027 GOVT. OF BIHAR

जमीन की व्यवस्था हेतु ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा से वार्त्ता चल रही है।

4. तालाबों के किनारों की घेराबंदी किया गया है।
5. तालाबों के किनारे जगह–जगह पर कूड़ादान (Dust Bin) रखा गया है।
6. ठोस अपशिष्ट का Door to Door संग्रहण कराया जा रहा है।
7. तालाब के किनारे बसे लोगों द्वारा कचड़ा तालाब में नहीं फेंकने हेतु विभिन्न माध्यमों से जन–जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। अब लोगों द्वारा तालाब में कचड़ा नहीं फेंका जाता है।

बैठक में अध्यक्ष द्वारा सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित निदेश दिये गयेः–

1. सभी संबंधित विभागों द्वारा किये जाने वाले कार्यो को इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाय।
2. रेलवे प्राधिकारों को निदेश दिया गया कि रेल परिसर से निकलने वाले प्रदूषित जल को रोका जाये एवं STP का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाये। यदि रेलवे प्राधिकारों द्वारा नाला को कार्य–योजना के अनुरूप Divert कर STP/WRP ससमय नहीं बनाया जाता है तो उनपर पर्यावरणीय क्षतिपूर्त्ति (Environmental Compensation) लगाया जाय। इस हेतु वैधानिक निदेश दिया जाय।
3. जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा को निदेश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना से अतिक्रमणकारियों द्वारा प्राप्त किये गये Stay Order के विरूद्ध आवेदन दिया जाये एवं वाद में पैरवी कर शीघ्र निपटान हेतु समुचित कार्रवाई सुनिश्चित किया जाये।
4. STP का निर्माण के लिये स्थल की व्यवस्था कर (ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा अथवा अन्य स्थल पर) अगले छः माह में कार्य प्रारंभ कराया जाये।
5. तीन तालाबों के किनारों पर पार्क एवं वाटिका विकसित किया जाये।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्रवाई सम्पन्न हुई।

15/12/2023

(बन्दना प्रेयषी)
सरकार के सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार।

NOTARY A. K. LAL Distt. PATNA Reg. No.-18883 Exp.dt-29.05.2027 GOVT OF BIHAR

Annexure-4

सरकार के सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी प्रक्षेत्र (Eastern Zone), कोलकाता में दायर O.A No. 155/2022 (EZ), दिनांक–18.12.2022 को पारित आदेश द्वारा गठित संयुक्त समिति (Joint Committee) की दिनांक–26.07.2024 को आयोजित तृतीय समीक्षा बैठक का वृत।

सरकार के सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, पूर्वी प्रक्षेत्र (Eastern Zone), कोलकाता में दायर O.A No. 155/2022 (EZ) दिनांक–18.12.2022 को पारित आदेश द्वारा गठित संयुक्त समिति (Joint Committee) की दिनांक–26.07.2024 को सचिव के कार्यालय कक्ष में हाईब्रिड मोड में एक समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों/उनके प्रतिनिधियों द्वारा ऑनलाईन विडियो कॉन्फेरेन्स के माध्यम से भाग लिया गया:–

1. सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना;
2. जिला पदाधिकारी, दरभंगा के प्रतिनिधि;
3. नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा;
4. श्री निशांत चौधरी, Sr. DEN I SPJ, समस्तीपुर प्रमंडल, समस्तीपुर;
5. श्री अनुराग, DME TS & EnHM/ SPJ, समस्तीपुर प्रमंडल, समस्तीपुर;
6. श्री जगदीश शरण, सहायक अभियंता, दरभंगा रेलवे स्टेशन, पूर्व मध्य रेलवे, दरभंगा।

सरकार के सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया एवं सभी उपस्थित सदस्यों से परिचय प्राप्त किया गया। माननीय अध्यक्ष की अनुमति से बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के सदस्य सचिव, श्री एस. चन्द्रशेखर द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बैठक की कार्रवाई आंरभ की गयी।

सदस्य–सचिव द्वारा बैठक की कार्रवाई आरंभ करते हुए संयुक्त समिति के गठन, बैठक की पृष्ठभूमि, संयुक्त समिति के उत्तरदायित्वों के बारे में सदस्यों को जानकारी दी गई एवं सूचित किया गया की संयुक्त समिति की द्वितीय बैठक दिनांक–22.11.2023 को आयोजित किया गया था। इस दौरान अध्यक्ष के द्वारा जानकारी प्राप्त की गयी कि इन तीन तालाबों के सौन्दर्यीकरण एवं सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस.टी.पी.) की स्थापना के लिए क्या–क्या कार्य किये जा रहे हैं।

NOTARY A. K. LAL Distt.-PATNA Reg No.-1883J Exp.dt.-29.05.2027 GOVT. OF BIHAR

नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा द्वारा सूचित किया गया कि तालाबों के आस–पास एवं शहर में घनी आबादी होने के कारण एस.टी.पी. लगाने हेतु स्थल उपलब्ध नहीं है। परन्तु, पास में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा अवस्थित है, जहां जमीन की उपलब्धता देखी गयी है। इस हेतु दरभंगा नगर निगम द्वारा भू–सम्पदा पदाधिकारी, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा से पत्राचार (पत्रांक–3720, दिनांक–23.11.2023) किया गया है परन्तु उनके द्वारा अद्यतन कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अध्यक्ष द्वारा अन्य वैकल्पिक स्थानों यथा–म्यूजियम में स्थान की उपलब्धता की जानकारी लेने पर नगर आयुक्त द्वारा सूचित किया गया कि इस स्थान पर एस.टी.पी. लगाया जाना उचित नहीं है, क्योंकि यहां अन्य लोगों के साथ विदेशी पर्यटक/शोधकर्त्ता भी आते रहते हैं। एक एस.टी.पी. लगाने हेतु उपयुक्त स्थल की आवश्यकता होगी। नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा द्वारा जानकारी दी गयी कि वर्षा जल (Storm water) के लिए अलग से नाला बनाये जाने का प्रस्ताव है, जिसका डी.पी.आर. तैयार किया गया है एवं तकनीकी आलेख तैयार कर नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार को अनुमोदनार्थ भेजा गया है। इसके सर्वेक्षण के दौरान पता चला कि शहर के दूषित/गंदे का पानी निकास पांच (05) स्थालों से होती हैं। वर्षा का पानी को इन्हीं पांच स्थालों से निकाले जाने का प्रस्ताव है। बुडको (BUIDCO) के द्वारा दरभंगा शहर में दो एस.टी.पी. स्थापित किये जाने का भी प्रस्ताव दिया गया है।

सदस्य–सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा सूचित किया गया कि माननीय अधिकरण द्वारा पर्षद् को आदेश दिया गया है कि प्रत्येक छः माह पर एक बार तीनों तालाबों के जलों का नमूना संग्रहण एवं उसका विश्लेषण कार्य किया जाय। मानकों के उल्लंघन पर उसके सुधार हेतु आवश्यक कदम लिये जाने के लिए संबंधित को वैधानिक निदेश जारी किया जाय। इस पर कार्रवाई करते हुए नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा को पर्षद् पत्रांक–2591, दिनांक– 07.12.2023 द्वारा मानकों के उल्लंघन में आवश्यक सुधार के लिए वैधानिक निदेश जारी किया गया। सूचित किया गया कि इन तीनों तालाबों में pH & Dissolved Oxygen (DO) की मात्रा मानकों के अधीन पायी गयी है। Bio-chemical Oxygen Demand (BOD) की मात्रा जनवरी, 2024 तक मानक से ज्यादा पायी गयी थी। परन्तु, माह फरवरी, 2024 से BOD की मात्रा मानक के अधीन पायी जा रही है। Total Coliform (TC) and Fecal Coliform (FC) की मात्रा हमेशा से मानक

NOTARY ★ A.K. LAL Dist.-PATNA Reg No.-18833 Exp.dt.-29.05.2027 GOVT. OF BIHAR ★

से ज्यादा पायी जा रही है, जो यह दर्शाता है कि इसमें अभी भी सीवेज जल का प्रवाह हो रहा है।

अध्यक्ष महोदया द्वारा पृच्छा की गयी कि ठोस अपशिष्टों का डोर–टू–डोर संग्रहण प्रणाली के तहत संग्रहित कचरों का निपटान कहाँ किया जाता है। इस बिन्दु पर नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा के द्वारा सूचित किया गया कि दरभंगा शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर भू–खंड का आवंटन किया गया है, जहां ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा विकसित किया जाना है। वर्त्तमान में इस स्थान पर सुविधा विकसित करने का कार्य आरंभ नहीं किया गया है।

अतिक्रमण के संबंध में अनुपालन प्रतिवेदन के अनुसार हराही तालाब के आस–पास का अतिक्रमण को पूर्णतः हटा दिया गया है तथा सूचित किया गया है कि गंगासागर के ईर्द–गिर्द 65 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें 36 अतिक्रमणकारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा Stay Order प्राप्त किया गया है। शेष बचे 29 अतिक्रमणकारियों में से 14 को हटाया गया है। शेष 15 लोगों को हटाया जाना बाकी है। दिग्घी तालाब के ईर्द–गिर्द 54 अतिक्रमणकारियों को चिन्हित किया गया है, जिनमें 46 अतिक्रमणकारियों को हटाया जाना बाकी है।

सौन्दर्यीकरण के मामले पर नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा द्वारा सूचित किया गया कि तीनों तालाबों के सौन्दर्यीकरण के लिए लगभग रूपये 08 (आठ) करोड़ की परियोजना तैयार किया गया है तथा इस हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, दरभंगा से पत्राचार किया जा रहा है। इस संबंध में माननीय अध्यक्ष द्वारा आश्वस्त किया गया कि इस क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य स्थानीय वन प्रमंडल पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में एक प्रस्ताव विभाग को भी उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

दरभंगा रेलवे स्टेशन द्वारा किये जाने वाले अनुपालन के संबंध में रेलवे के पदाधिकारियों द्वारा सूचित किया गया कि हराही तालाब में जाने वाले अपशिष्ट जल को बंद कर दिया गया है तथा एक नाला बनाकर कटहलबाड़ी स्थित वाटर रिसाईकलिंग प्लांट (Water Recycling Plant, WRP) में मिला दिया गया है। दूसरा नाला जो म्यूजियम होते हुए दिग्घी तालाब में जाती थी,

NOTARY A. K. LAL Distt.-PATNA Reg. No.-18833 Exp.dt.-29.05.2027 GOVT. OF BIHAR

को म्यूजियम गुमटी (समपार सं.–26) के पास नगर निगम के ड्रेन में जोड़ दिया गया है, जो दोनार हेते हुए रेलवे ट्रैक के किनारे (रेलवे भूमि) से होते हुए गंगापट्टी गाँव की ओर से चौर में चला जाता है। सदस्य–सचिव द्वारा सूचित किया गया कि माननीय अधिकरण (प्रधान बेंच) द्वारा ओ.ए. नं.–141/2014 में दिनांक–18.08.2020 को पारित आदेश के आलोक में रेलवे स्टेशन से जनित सीवेज के उपचार के लिए सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लांट (एस.टी.पी.) लगाया जाना आवश्यक है। इस संबंध में रेलवे के पदाधिकारी, श्री निशांत चौधरी, Sr. DEN 1SPJ, Samastipur द्वारा सूचित किया गया कि एस.टी.पी. निर्माण के लिए अमृत भारत स्कीम में दो एस.टी.पी. निर्माण के लिए राशि रूपये 250 करोड़ का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है, जिसका निविदा किया जा चुका है एवं इसका निर्माण जून, 2026 तक पूरा किया जाना है।

बैठक में सभी बिन्दुओं पर विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय गये:–

1. ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा के परिसर में एस.टी.पी. की स्थापना हेतु जमीन चिन्हित कर उसे दरभंगा नगर निगम को एन.ओ.सी. प्रदान के लिए माननीय महामहिम राज्यपाल कार्यालय से सम्पर्क किया जाय।

(**अनुपालनः** सदस्य–सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना)

2. एस.टी.पी. की स्थापना हेतु वैकल्पिक स्थल का भी चयन किया जाय।

(**अनुपालनः** जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा)

3. एस.टी.पी. की स्थापना हेतु बुडको (BUIDCO) से भी विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जाय।

(**अनुपालनः** नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार)

4. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु आवंटित स्थल पर Solid Waste Processing Facility की स्थापना हेतु शीघ्र कार्य आरंभ किया जाय, जिससे तालबों के आस–पास अवस्थित वार्डों से जनित कचरों का नियमानुकूल निपटान किया जा सके।

(**अनुपालनः** नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा

NOTARY ★ A. K. LAL ★ Distt.-PATNA Reg. No.-18831 Exp.dt.-29.05.2027 GOVT. OF BIHAR

एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार)

5. दिग्घी एवं गंगासागर के किनारों पर अवस्थित अतिक्रमणकारियों को हटाया जाना सुनिश्चित किया जाय। माननीय उच्च न्यायालय, पटना से निर्गत Stay order के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में अपील/वाद दायर कर Stay order पर स्थगन प्राप्त कर अतिक्रमणकारियों को हटाया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(**अनुपालनः** जिला पदाधिकारी, दरभंगा)

6. तीनों तालाबों के किनारे सौन्दर्यीकरण/वृक्षारोपण के लिए स्थानीय वन प्रमंडल पदाधिकारी, दरभंगा से सम्पर्क स्थापित कर सौन्दर्यीकरण/वृक्षारोपण कार्य शीघ्र सुनिश्चित किया जाय ताकि आम जनताओं को सुविधा के साथ–साथ पुनः अतिक्रमण से भी बचाव हो सके।

(**अनुपालनः** जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा)

7. रेलवे स्टेशन, दरभंगा में एस.टी.पी. की स्थापना के संबंध में समयबद्ध कार्य–योजना समिति के समक्ष/बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(**अनुपालनः** डी.आर.एम., पूर्व मध्य रेलवे, समस्तीपुर डिविजन, समस्तीपुर)

8. पर्षद् द्वारा निर्गत वैधानिक निदेश (पत्रांक–2591, दिनांक–07.12.2023) का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अगली बैठक में इसका अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

(**अनुपालनः** जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा)

9. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा यथा माननीय अधिकरण द्वारा आदेशित नियमित रूप से प्रसांगिक तीनों तालाबों से जल नमूना का संग्रहण कर जांच किया जाय तथा उसकी प्रति नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, दरभंगा एवं जिला पदाधिकारी, दरभंगा को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाय।

(**अनुपालनः** बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, पटना)

NOTARY
A. K. LAL
Distt.-PATNA
Reg. No.-18833
Exp.dt. 29.05.2027
GOVT. OF BIHAR

10. दरभंगा समाहरणालय परिसर में Continuous Ambient Air Quality Monitoring Station (CAAQMS) की स्थापना हेतु उचित स्थल का चयन बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के साथ मिलकर किया जाय ताकि दरभंगा शहर में CAAQMS की संचालन शीघ्र शुरू किया जा सके।

(अनुपालनः जिला पदाधिकारी, दरभंगा एवं बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना)

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

28/7/2024

(बन्दना प्रेयषी)
सरकार के सचिव
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

NOTARY ★ GOVT. OF BIHAR ★ A. K. LAL Distt.-PATNA Reg. No.-1883J Exp.dt.-29.05.2027